संख्या–1099/38–6–13–12एसजीएसवाई/2008

प्रेषक,

अरुण सिंघल,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद–एटा, झाँसी, इलाहाबाद, फतेहपुर, कौशाम्बी, कानपुर नगर, मिर्जापुर, सहारनपुर, अमरोहा, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, फिरोजाबाद, कासगंज, हाथरस, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, रमाबाई नगर, इटावा, कन्नौज, औरैया, चन्दौली, सोनभद्र, सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, कुशीनगर, बाराबंकी, अम्बेडकरनगर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बदायूँ, आजमगढ़, खीरी, बिजनौर, बाँदा, अलीगढ़, देवरिया, महराजगंज, संतकबीरनगर, मुजफ्फरनगर, बागपत, प्रतापगढ़, बलिया, गोण्डा एवं जालौन।

ग्राम्य विकास अनुभाग–6 लखनऊ दिनांकः 24 अक्टूबर, 2013

विषयः– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के जनपदों में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI) की स्थापना हेतु जनपद से सम्बन्धित लीड बैंक को न्यूनतम लीज रेन्ट पर भूमि उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना को पुनर्गठित करते हुए उसके स्थान पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन(एनआरएलएम) का संचालन प्रारम्भ किया गया है। कार्यक्रम के तहत गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें रोजगारयुक्त बनाये जाने हेतु देश के समस्त जनपदों में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना व भवन निर्माण संबंधित जनपद के लीड बैंक के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु प्रति संस्थान रू0 1.00 करोड़ की धनराशि भारत सरकार द्वारा संबंधित लीड बैंक को उपलब्ध कराई जायेगी। इन प्रशिक्षण संस्थानों को स्थापित करने एवं संचालित करने का दायित्व संबंधित जनपदों के लीड बैंक का होगा। प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु आवश्यक भूमि राज्य सरकार द्वारा चयनित लीड बैंक को निःशुल्क अथवा न्यूनतम लीज रेन्ट पर उपलब्ध कराई जानी है। लीज–डीड का निष्पादन संबंधित विभाग, जिसकी भूमि लीज पर ली जा रही है, द्वारा किया जायेगा।

2. भारत सरकार द्वारा लिए गये उक्त निर्णय के अनुक्रम में प्रथम चरण में प्रदेश के 18 जनपदों मऊ, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, संतरविदासनगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बरेली, रामपुर, फैजाबाद, सुल्तानपुर, मथुरा, मेरठ, बुलन्दशहर, लखनऊ, फर्रूखाबाद, रायबरेली, एवं बस्ती जनपदों में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये जाने के संबंध में मा0 मंत्रि परिषद के निर्णय से आदेश निर्गत करते हुए लीज डीड़/एम0ओ0यू0 का प्रारूप (प्रति संलग्न) जारी किया जा चुका है।

3. प्रदेश के समस्त जनपदों में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) की स्थापना हेतु संबंधित लीड बैंक को भूमि उपलब्ध कराये जाने की वचनबद्धता भारत सरकार को दी गई है। तदनुसार आरसेटी की स्थापना हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में उपयुक्त भूमि को चिन्हित करते हुए संबंधित लीड बैंक की सहमति से जिलाधिकारी

की संस्तुति सहित प्रस्ताव मांगे गये थे जो आयुक्त ग्राम्य विकास के माध्यम से उपलब्ध कराये गये हैं। **द्वितीय चरण** में भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के 47 जनपदों में निम्नानुसार चिन्हित/उपलब्ध भूमि आरसेटी की स्थापना हेतु लीड बैंकों को उपलब्ध कराई जानी है:–

क0 सं0	जनपद का नाम	भूमि का विवरण	भूमि का स्वामित्व/प्र0वि0	लीड बैंक
1	2	3	4	5
1	एटा	तहसील एटा के ग्राम सौगरा, परगना–मारहरा में गाटा सं0–507/0.405 हे0	भूमि प्रबन्धक समिति राजस्व विभाग	कैनरा बैंक
2	झॉसी	ग्राम–बिजौली, तहसील–झॉसी में भूमि संख्या–3178 रकबा–0.320 व 3179 रकबा–0.576 हे0 में से 0.085 हे0 कुल रकबा–0.405 हे0।	भूमि प्रबन्धक समिति राजस्व विभाग	पंजाब नेशनल बैंक
3	इलाहाबाद	ग्राम–नेवादा समोगर, परगना–अरैल, तहसील–करछना में उपलब्ध भूमि में से 0.547 हे0 भूमि।	भूमि प्रबन्धक समिति राजस्व विभाग	बैंक आफ बडौदा
4	फतेहपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग–2 जीटी रोड पर ग्राम–रामपुर थरियॉव, परगना–हसवां में एक एकड़ भूमि।	भूमि प्रबन्धक समिति राजस्व विभाग	बैंक आफ बडौदा
5	कौशाम्बी	ग्राम–जयन्तीपुर, पर0 व तह0–चायल में भूमि सं0–300मि0 क्षेत्रफल 0.399 हे0।	भूमि प्रबन्धक समिति राजस्व विभाग	बैंक आफ बडौदा
6	कानपुर नगर	ग्राम–मरियानी, विकास खण्ड–चौबेपुर, तहसील–बिल्हौर में एक एकड़ भूमि।	भूमि प्रबन्धक समिति राजस्व विभाग	बैंक आफ बडौदा
7	मिर्जापुर	ग्राम–भोड़सर, विकास खण्ड–सीटी में उपलब्ध भूमि।	भूमि प्रबन्धक समिति राजस्व विभाग	इलाहाबाद बैंक
8	सहारनपुर	ग्राम सभा–साढ़ौली घीरा मु0, के ग्राम सरथगल मु0 के खसरा नं0–555 में क्षेत्रफल 0.405 हे0	भूमि प्रबन्धक समिति राजस्व विभाग	पंजाब नेशनल बैंक
9	अमरोहा	ग्राम–गजस्थल के गाटा सं0–450/2.671 हे0 भूमि, जो बाग के खाते में दर्ज है, में से 0.405 हे0	भूमि प्रबन्धक समिति राजस्व विभाग	सिंडीकेट बैंक
10	शाहजहॉपुर	ग्राम–शाहबाज नगर बागार, परगना व तहसील सदर, गाटा सं0–2481 ख,	भूमि प्रबन्धक समिति राजस्व विभाग	बैंक आफ बडौदा

		क्षेत्रफल–0.405 हे0		
11	पीलीभीत	गांव–टांडा माधौ, परगना व तहसील पुरनपुर, गाटा सं0–747, क्षेत्रफल 0.405 हे0	भूमि प्रबन्धक समिति राजस्व विभाग	बैंक आफ बडौदा
12	फिरोजाबाद	ग्राम–अलीनगर कैजरा, विकासखण्ड–फिरोजाबाद स्थित भूमि गाटा सं0–308 रकबा– 3950 वर्ग मी0	भूमि प्रबन्धक समिति राजस्व विभाग	स्टेट बैंक आफ इण्डिया
13	कासगंज	ग्राम तरौरा,परगना–बिलग्राम,तह0कासगंज, भूमि गाटा सं0 28/0.405 हे0	भूमि प्रबन्धक समिति राजस्व विभाग	कैनरा बैंक
14	हाथरस	विकास खण्ड–सासनी के ग्राम सभा बिजहरीके गाटा संख्या–252/मि00.405 हे0	भूमि प्रबन्धक समिति राजस्व विभाग	केनरा बैंक
15	हमीरपुर	ग्राम–सूरजपुर डॉडा, परगना/तहसील–सुमेरपुर में गाटा सं0–141 क्षे0–0.320 हे0	भूमि प्रबन्धक समिति राजस्व विभाग	इलाहाबाद बैंक
16	महोबा	ग्राम मौजा भटीपुरा तहसील महोबा के गाटा सं0–526 रकबा 0.255 हे0 गाटा सं0–527 रकबा–0.045 हे0	भूमि प्रबन्धक समिति राजस्व विभाग	इलाहाबाद बैंक
17	चित्रकूट	ग्राम–भॉगा, तहसील/परगना–कर्बी प्लाट–153/5 रकबा 0.627 हे0	भूमि प्रबन्धक समिति राजस्व विभाग	इलाहाबाद बैंक
18	रमाबाई नगर	ग्राम–टकरौली, तहसील अकबरपुर मे गाटा सं0–264 रकबा 0.404 हे0।	भूमि प्रबन्धक समिति राजस्व विभाग	बैंक आफ बडौदा
19	इटावा	ग्राम–चितभवन, वि0ख0 बशरेहर के गाटा सं0–723/1मि0 रकबा 0.978 हे0 मे से रकबा–0.405 हे0।	भूमि प्रबन्धक समिति राजस्व विभाग	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया
20	कन्नौज	ग्राम–अनौगी, परगना/तहसील कन्नौज गाटा सं0–969, क्षे0 0.405 हे0।	भूमि प्रबन्धक समिति राजस्व विभाग	बैंक आफ इण्डिया
21	औरैया	ग्राम–सेहुद, परगना व तहसील–औरैया गाटा सं0– 972 क्षे0 405 हे0।	भूमि प्रबन्धक समिति राजस्व विभाग	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया
22	चन्दौली	ग्राम–चन्दौली के गाटा सं0–650 रकबा 0.405 हे0	भूमि प्रबन्धक समिति राजस्व विभाग	यूनियन बैंक आफ इण्डिया
23	सोनभद्र	ग्राम–लोढी, परगना–बडहर, तहसील–राबर्टगंज में गाटा सं0–1176 क मी0क्षे0 0.45 हे0	भूमि प्रबन्धक समिति राजस्व विभाग	इलाहाबाद बैंक

24	सीतापुर	ग्राम–जमैतपुर, गाटा सं0–519ख नि0 0.505 हे0	भूमि प्रबन्धक समिति राजस्व विभाग	इलाहाबाद बैंक
25	उन्नाव	ग्राम–सिगरोसी, परगना व तहसील–उन्नाव मे भूमि सं0–108 मि0/0.405 हे0	भूमि प्रबन्धक समिति राजस्व विभाग	बैक आफ इण्डिया
26	हरदोई	ग्राम–तत्यौरा, परगना–बावन, तहसील हरदोई में स्थित गाटा सं0–240 में से 1.50 करोड़ भूमि	भूमि प्रबन्धक समिति राजस्व विभाग	बैंक आफ इण्डिया
27	कुशी नगर	ग्राम–सोहरौना, परगना–सि0जो0तह0 पडरौना मे प्लाट सं0–429 मि0,क्षे0 0.405 हे0	भूमि प्रबन्धक समिति राजस्व विभाग	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया
28	बाराबंकी	ग्राम–गदिया, परगना–बेवा, तहसील–नवाबगंज में गाटा सं0–2864 मि0/ क्षे0– 0.405 हे0	भूमि प्रबन्धक समिति राजस्व विभाग	बैंक आफ इण्डिया
29	अम्बेड़करनगर	ग्राम–बैरमपुर बैरवा, मे उपलब्ध भूमि गाटा सं0–417 मि0क्षे0 0.470 हे0	भूमि प्रबन्धक समिति राजस्व विभाग	बैंक आफ बडौदा
30	बहराइच	ग्राम–पंचायत–सिसई हैदर, विकास खण्ड– तन्जवापुर के गाटा सं0–250, रकबा–0.522 हे0	भूमि प्रबन्धक समिति राजस्व विभाग	इलाहाबाद बैंक
31	श्रावस्ती	ग्राम पंचायत–श्रावस्ती, ग्राम–जोखनिया, विकास खण्ड–सिरसिया, परगना–तलसीपुर के खाता सं0–203 के गाटा सं0–9 मि0/0.405 हे0।	भूमि प्रबन्धक समिति राजस्व विभाग	इलाहाबाद बैंक
32	बलरामपुर	ग्राम–सिसई, परगना व तहसील–बलरामपुर के भू–खण्ड सं0–125, रकबा 0.405 हे0।	भूमि प्रबन्धक समिति राजस्व विभाग	इलाहाबाद बैंक
33	बदायूँ	ग्राम–नौशेरा, तहसील बदायूँ स्थित भूमि गाटा–76 क्षे0–0.506 हे0।	भूमि प्रबन्धक समिति राजस्व विभाग	पंजाब नेशनल बैंक
34	आजमगढ़	ग्राम–गम्भीरवन, परगना–निजामाबाद, तहसील–सदर में गाटा सं0–2814 में रकबा–1.50 एकड़।	भूमि प्रबन्धक समिति राजस्व विभाग	यूनियन बैंक आफ इण्डिया
35	खीरी	जि0ग्रा0वि0सं0 भंसड़िया लखीमपुर में उपलब्ध भूमि में से एक एकड़ भूमि	जिला ग्राम्य विकास संस्थान/ग्रा0वि0वि0	इलाहाबाद बैंक
36	बिजनौर	विकास खण्ड हल्दौर कार्यालय परिसर की भूमि	विकास खण्ड/ग्रा0 वि0 वि0	पंजाब नेशनल बैंक

		में से 3762.60 वर्ग मी0		
37	बॉदा	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, बॉदा परिसर की भूमि में से एक एकड़ भूमि	जिला ग्राम्य विकास संस्थान/ग्रा0 वि0 वि0	इलाहाबाद बैंक
38	अलीगढ़	ग्रामीण भवन निर्माण केन्द्र धनीपुर, भवन साइड प्लान के अनुसार 5445.30 वर्ग मी0 क्षे0	उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद /ग्रा0 वि0 वि0	कैनरा बैंक
39	देवरिया	विकास खण्ड–बरहज के परिसर में गाटा सं0–110 रकबा 0.474हे0 में से क्षे0 1907 वर्ग मी0	विकास खण्ड / ग्रा0 वि0 वि0	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया
40	महराजगंज	विकास खण्ड–लक्ष्मीपुर कार्यालय के परिसर में 5197.50 वर्ग मी0 भूमि।	वि0ख0 परिसर /ग्रा0 वि0 वि0	स्टेट बैंक आफ इण्डिया
41	संत कबीर नगर	विकास भवन, संतकबीर नगर के समीप भूमि क्षे0 0.405 हे0	विकास भवन/ग्रा0 वि0 वि0	भारतीय स्टेट बैंक
42	मुजफ्फर नगर	वि0ख0–मोरना परीसर में उपलब्ध भूमि में से 4000 वर्ग मी0 भूमि	विकास खण्ड/ ग्रा0 वि0 वि0	पंजाब नेशनल बैंक
43	बागपत	उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा तहसील बागपत के ग्राम नीवाड़ा, बांगर व शिशाना बांगर मे अधिग्रहीत की गयी भूमि मे से 1.270 एकड़ भूमि	उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम/भूतत्व एवं खनि कर्म विभाग	सिंडीकेट बैंक
44	प्रतापगढ़	ग्राम–गोंड़े प0 व त0– सदर में उपलब्ध भूमि जो 'स्कूल फार्म' नाम से अंकित है, में से एक एकड़ भूमि।	स्कूल फार्म/ शिक्षा विभाग	बैंक आफ बडौदा
45	बलिया	विकास खंड हनुमानगंज के मौजा जीराबस्ती के आराजी सं0–253/0.263 हे0 एवं 255/0.324 हे0 भूमि।	उद्यान विभाग	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया
46	गोण्डा	विकास खण्ड–मुजेहना में स्थित थाना–धानेपुर से सटा गाटा सं0–25,क्षे0– 2.85 एकड़।	लोक निर्माण विभाग	इलाहाबाद बैंक
47	जालौन	विकास खण्ड–जालौन, ब्लॉक बिल्डिंग जालौन, क्षे0–22.5X33.5 मीटर	ग्राम्य विकास	इलाहाबाद बैंक

4. प्रस्तर–3 की सूची के क्रमांक–1 से 34 तक के जनपदों में चिन्हित भूमि का स्वामित्व संबंधित भूमि प्रबन्धक समिति का है। अतएव राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या–915 /एक–1–2006, दिनांक 06.06.2006 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या–4784/2001 हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी आदि तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0–38910/2003 इकबाल अहमद व अन्य बनाम डी0डी0सी0 देवरिया व अन्य में पारित आदेश के क्रम में तालाब/पोखर/घौला आदि की भूमि का पुनर्ग्रहण नहीं किया जायेगा।

प्रस्तर–3 की सूची के क्रमांक–35 से 42 एवं क्रमांक–47 पर अंकित जनपदों में चिन्हित भूमि **ग्राम्य विकास विभाग** (जिला ग्राम्य विकास संस्थान, उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद, क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान एवं विकास खण्ड) के स्वामित्व की है।

प्रस्तर–3 की सूची में क्रमांक–43 पर अंकित जनपद–बागपत में चिन्हित भूमि का स्वामित्व **औद्योगिक विकास विभाग** का है।

प्रस्तर–3 के क्रमांक–44 पर अंकित जनपद–प्रतापगढ़ में चिन्हित भूमि का स्वामित्व **शिक्षा विभाग** का है। जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम पंचायत गोड़े सदर प्रतापगढ़ स्थित उ0प्रा0वि0 गोड़े की 5.5 बीघा भूमि राजस्व अभिलेखों में स्कूल के नाम दर्ज है जो कृषि एवं विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के खेलकूद हेतु उपयोग में लाई जाती है। ऐसी स्थिति में 5.5 बीघा जमीन में से मात्र 01 एकड़ भूमि ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) की स्थापना हेतु इस शर्त के साथ दी जाती है कि छात्रों के शिक्षण कार्य में कोई गतिरोध उत्पन्न न होगा।

प्रस्तर–3 के क्रमांक–45 पर अंकित जनपद–बलिया में चिन्हित भूमि का स्वामित्व **उद्यान विभाग** का है। प्रस्तर–3 के क्रमांक–46 पर अंकित जनपद–गोण्डा में चिन्हित भूमि का स्वामित्व **लोक निर्माण विभाग** का है।

5. ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान(आरसेटी) की स्थापना हेतु उपरोक्त प्रस्तर–3 में जनपदवार चिन्हित भूमि सम्बन्धित लीड बैंक को 33 वर्ष की लीज पर 100/–(सौ रूपये) वार्षिक लीज रेन्ट पर सम्बन्धित भूमि प्रबन्धक समिति/प्रशासकीय विभाग के द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। लीज की अवधि की समाप्ति पर लीज की समय वृद्धि हेतु यथासमय निर्णय लिया जायेगा। संबंधित भूमि प्रबंधक समिति/प्रशासनिक विभाग, जिनका उक्त भूमि पर स्वामित्व है, के जनपद स्तरीय अधिकारी व संबंधित लीड बैंक के मध्य एक मेमोरेन्डम आफ अण्डर स्टैन्डिंग इस आशय का निष्पादित किया जायेगा कि संबंधित लीड बैंक द्वारा लीज पर दी गयी भूमि का उपयोग केवल आरसेटी की स्थापना व संचालन हेतु किया जायेगा तथा किसी भी अन्य संस्था/व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा। भूमि लीड बैंक के पास तब तक रहेगी जब तक आरसेटी द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम बन्द नहीं कर दिया जाता। आरसेटी द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम बन्द कर दिये जाने की दशा में भूमि सम्बन्धित प्रबन्धक समिति/राज्य सरकार के प्रशासनिक विभाग को स्वतः वापस हो जायेगी।

6. उपरोक्त प्रस्तर–5 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप जनपद स्तरीय अधिकारी व संबंधित लीड बैंक के मध्य मेमोरेण्डम आफ अण्डर स्टैन्डिंग(एम0ओ0यू0.) के निष्पादन हेतु ''एम0ओ0यू0'' का प्रारूप तथा चिन्हित भूमि संबंधित लीड बैंक को न्यूनतम लीज रेन्ट पर

दिये जाने से संबंधित ''लीज डीड'' का प्रारूप संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

7. अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार चिन्हित भूमि आरसेटी की स्थापना हेतु सम्बन्धित लीड बैंक को 33 वर्ष की लीज पर अविलम्ब उपलब्ध कराने एवं कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(अरुण सिंघल)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 1099 (1)/38–6–2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
2–प्रमुख सचिव, वित्त/राजस्व/औद्योगिक विकास/शिक्षा/उद्यान/लोक निर्माण/नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3–आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
4–मिशन निदेशक, उ0प्र0राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
5–सम्बन्धित समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 द्वारा– मिशन निदेशक,यूपीएसआरएलएम।
6–सम्बन्धित समस्त मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, उ0प्र0 द्वारा– मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम।
7–प्राचार्य, क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान, खीरी/बॉदा।
8–समस्त सम्बन्धित लीड बैंक आफिसर द्वारा– मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम।
9–जनरल मैनेजर/असिस्टेंट जनरल मैनेजर, केनरा बैंक/पंजाब नेशनल बैंक/बैंक आफ बड़ौदा/इलाहाबाद बैंक/सिंडीकेट बैंक/स्टेट बैंक आफ इण्डिया/सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया एवं यूनियन बैंक आफ इण्डिया, उ0प्र0 लखनऊ।
10–मुख्य महाप्रबन्धक, एस0एल0बी0सी0, गोमती नगर, लखनऊ।
11–श्री टी0 विजय कुमार, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
12–श्री राजीव टकरु, सचिव, वित्त मंत्रालय, वित्त सेवायें विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके अर्धशा0प0सं0–3(10)/2009–सीपी,दि0–17–9–2013 के संदर्भ में।
13–गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।